




सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
वर्ष 2025–2026



कार्यालय

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान

6-सीए सुरक्षा भवनए झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

फोन : 0141-2709659ए 2709897

E-mail: [rajfab@rajasthan.gov.in](mailto:rajfab@rajasthan.gov.in)

Website: [rajfab.rajasthan.gov.in](http://rajfab.rajasthan.gov.in)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2025–2026

विभाग का मुख्य कार्य उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं कल्याण हेतु संबंधी प्रावधानों की पालना करवाना है। इन कानूनों के परिपालन द्वारा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थिति एवं कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य घण्टे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन आदि को विनियमित करना है। इसके अलावा इस विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में कारखाना मालिकों एवं कामगारों को तकनीकी सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है एवं सामयिक सलाह भी दी जाती है, व समय-समय पर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के सुझाव दिये जाते हैं।

राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत बने नियमों के संबंध में पूर्ण वर्गीकृत व सुव्यवस्थित जानकारी एवं आवेदन करने हेतु सूचना विभागीय वेबसाइट <https://rajfab.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है, ताकि विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियाँ, अनुज्ञा-पत्रों, प्रमाण-पत्रों आदि प्राप्त करने में उद्यमियों को समुचित मार्गदर्शन मिल सके एवं स्वीकृतियाँ, अनुज्ञापत्र एवं प्रमाण पत्र त्वरित गति से प्राप्त हो सकें।

उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा कारखाना लाईसेंस का Auto Renewal किया जा रहा है एवं विभाग के कार्य को विकेंद्रित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत 150 श्रमिकों तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के कारखाना भवन के नक्शे अनुमोदन एवं कारखानों के लाईसेंस संशोधन संबंधित कार्य उप मुख्य निरीक्षक स्तर के क्षेत्रीय कार्यालयों – जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं भीलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है।

## 1. विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य निरीक्षक हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों के लिये कारखानों में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025 के तहत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों की पालना कराई जाती है। इस विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 210 पद सृजित हैं। **परिशिष्ट-1**

जयपुर स्थित मुख्यालय पर मुख्य निरीक्षक के अधीन एक पद उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, एक पद उप मुख्य निरीक्षक कारखाना (रसायन), तीन पद वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स व एक पद निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) का स्वीकृत है, विभाग में एक-एक पद वरिष्ठ विधि अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, प्रोग्रामर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, निजी सचिव व संस्थापन अधिकारी का स्वीकृत है।

विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यालय परिसर में स्थापित है जो क्रमशः वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) एवं उप निदेशक के अधीन संचालित हैं।

श्रमिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्र निस्तारण हो सके इस हेतु राज्य में 21 स्थानों पर विभाग के कार्यालय स्थापित हैं। राज्य के जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा एवं भीलवाड़ा मुख्यालयों पर उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के कार्यालय स्थापित हैं। इसी प्रकार अजमेर, पाली, श्रीगंगानगर, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, बांसवाड़ा एवं मदनगंज-किशनगढ़ में वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स एवं बून्दी, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, बालोतरा, मकराना एवं सिरोही में निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय संचालित है।


मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना का विवरण **परिशिष्ट-2** में दर्शाया गया है।

कारखानों में जोखिमपूर्ण रसायनों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिये कारखानों का निरीक्षण एवं कारखाना प्रबन्धन को आवश्यक मार्गदर्शन करने हेतु

विभाग में एक उप मुख्य निरीक्षक (रसायन) जो कि रासायनिक अभियांत्रिकी की योग्यता प्राप्त है, जयपुर (मुख्यालय) पर व एक वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर एवं एक निरीक्षक कारखाना (रसायन) कोटा में पद सृजित हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य जाँच एवं व्यवसायजनित बीमारियों पर निगरानी हेतु एक निरीक्षक (मेडिकल) का पद जयपुर मुख्यालय पर सृजित है।

विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ एवं प्रभावशाली रखने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के अधीन रखा गया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीन क्षेत्रों में कार्यों के नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार एवं दायित्व निर्वहन के लिये प्राधिकृत हैं।

## ADMINISTRATIVE STRUCTURE C.I.F. & B. RAJASTHAN



S.M.T.C.- SAFETY MUSEUM & TRAINING CENTRE  
I.H.L. - INDUSTRIAL HYGIENE LABORATORY

### विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

#### श्रम कानूनों की पालना

विभाग का मुख्य कार्य कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिये उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025 के तहत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की अनुपालना करवाना है।

विभाग द्वारा नये स्थापित होने वाले कारखानों का पंजीकरण किया जाकर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है तथा पंजीकृत निर्माणियों को वैद्य अनुज्ञा-पत्र हेतु नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। राज्य में वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में **824**

नये कारखानों का पंजीकरण किया गया है। इन कारखानों में लगभग **103113** श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। राज्य में कुल **11781** पंजीकृत कारखाने कार्यरत हैं, जिनमें लगभग **1010613** औसत श्रमिक नियोजित हैं। **परिशिष्ट-3**

राज्य में संस्थापित कारखानों एवं बॉयलर्स की सुरक्षा को प्रमुखता देते हुये विभाग के अधिकारियों द्वारा इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में **5051** कारखानों के निरीक्षण किये गये।

वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में विभाग द्वारा विनियमित किये जाने वाले कानून एवं उसके तहत बने नियमों के उल्लंघन स्वरूप **21** कारखाना प्रबन्धनों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये गये।

पूर्व के वर्षों के विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में से **25** प्रकरण निर्णित हुए तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा रूपये **4,22,000/-**का जुर्माना किया गया।

राज्य में स्थापित प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों में काम आने वाले रसायनों के भण्डारण, उपयोग तथा इनकी निर्माण प्रक्रियाओं से प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे आग, विस्फोट एवं विषैली गैस रिसाव आदि हो सकती है। ऐसी सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभाग द्वारा इन कारखाना प्रबंधकों से आपात योजना तैयार करवाई जाती है, जिससे कारखाना परिसर एवं परिसर के बाहर होने वाले असर को नियंत्रित किया जा सके। कारखाना प्रबंधन द्वारा इन आपात योजनाओं का समय-समय पर अभ्यास कराया जाता है, जिससे कि संकट के समय कारखाना प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को किस प्रकार प्रयोग में लिया जावेगा, सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है।

बॉयलर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की अनुपालनार्थ राज्य में लगने वाले सभी बॉयलर्स का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होता है। राज्य में वर्तमान में **2321** पंजीकृत बॉयलर कार्यरत हैं। वर्ष 2025 में (दिसम्बर तक) 201 नये बॉयलर्स का पंजीकरण किया गया है। बॉयलर्स के सुरक्षित उपयोग के उद्देश्य से सभी बॉयलर्स का विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है।

## सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

औद्योगिक श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा जयपुर में सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें कारखानों में कार्यरत कर्मकारों, सुपरवाइजर्स, सुरक्षा अधिकारियों, प्रबन्धकों एवं मालिकों को औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। विभाग नवीनतम श्रव्य-दृश्य उपकरणों की सहायता से नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

सुरक्षा संग्रहालय में सुरक्षा सम्बन्धी मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शित किये हुये हैं। उक्त संग्रहालय में पुस्तकालय की भी स्थापना की हुई है, जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी तकनीक की पुस्तकों का संकलन है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जयपुर में एवं अन्य औद्योगिक महत्व के स्थानों पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित कर औद्योगिक सुरक्षा पर जानकारी दी जाती है।

वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र **147** सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं, जिनमें **7707** प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये।

विभाग द्वारा सिलिकोसिस बीमारी के सम्बंध में जागरूकता हेतु **51** कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें **961** प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये एवं हैजार्डस एवं ई-वेस्ट हैंडलिंग करने वाले कारखानों के प्रबन्धन व श्रमिकों के लिए **6** वर्कशॉप आयोजित की गईं जिसमें **331** कारखाना प्रतिनिधि/श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

श्रमिकों को निःशुल्क सुरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कारखानों में स्थित **16** प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी क्षेत्र में **05** सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

## औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला

राज्य में संस्थापित उद्योगों में कार्य स्थल पर स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य में व्यवसायजनित बीमारियों की रोक-थाम हेतु विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की हुई है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से राज्य में विभिन्न कारखानों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु कार्यवातावरण का अध्ययन किया जाता है।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा राज्य में स्थित विभिन्न रसायनिक कारखानों में रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु वर्ष 2025 (दिसम्बर तक) में 168 कारखानों से 1085 वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूने एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण किया गया तथा जिन वायुगर्भित प्रदूषकों के नमूनों को निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया गया उन प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिये गये तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करवाया गया।

### विभागीय आय

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क व बॉयलर के पंजीयन/नवीनीकरण एवं निरीक्षण शुल्क से गत पाँच वर्षों में विभाग में हुई आय का विवरण :-

उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 एवं बॉयलर अधिनियम, 2025	
वर्ष	(रूपये लाखों में)
2021-2022	1758.66
2022-2023	2085.18
2023-2024	1979.70
2024-2025	2237.10
2025-2026 (दिसम्बर, 2025 तक)	1246.25

वित्तीय प्रबन्धन

विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण

मद 2025—2026	बजट प्रावधान BE 2025—2026 (लाखों में)	व्यय दिसम्बर, 2025 तक (लाखों में)
स्टेट फण्ड (स्कीम)	137.61	55.79
स्टेट फण्ड (नॉन स्कीम)	1664.24	1264.09

स्वीकृत पद(कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर)

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	पदनाम	मुख्यालय, जयपुर	कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक							कार्यालय वरिष्ठनिरीक्षक								कार्यालय निरीक्षक						योग		
			जयपुररीजन	भीलवाड़ा	अलवर	जोधपुर	कोटा	सदरपुर	उप निदे.सु. स. एवं प्र.क.	किशनगढ़	अजमेर	पाली	श्रीगंगानगर	शिवाड़ी	औ.स्वा. प्रयोगशाला	चित्तौड़गढ़	बीकानेर	बांसवाड़ा	बूंदी	भरतपुर	सीकर	हनुमानगढ़	बालोतरा		मकराना	सिरोही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	मुख्य निरीक्षक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	उप मुख्य निरीक्षक	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
3	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	वरिष्ठ निरीक्षक	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12
5	वरिष्ठ निरीक्षक (रसायन)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	उप निदेशक	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	निजी सचिव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	सहायक निदेशक	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	निरीक्षक	0	3	1	1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	19
10	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	सहायक लेखाधिकारी-प्रथम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	निरीक्षक (रसायन)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	निरीक्षक (मेडिकल)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	अतिरिक्त निजी सचिव	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16	निजी सहायक- I	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
17	संस्थापन अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	प्रशासनिक अधिकारी	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	अति. प्रशासनिक अधिकारी	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
20	सहा.प्रशासनिक अधिकारी	4	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	14
21	निजी सहायक- II	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
22	वरिष्ठ सहायक	8	2	1	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	22
23	कनिष्ठ सहायक	11	2	2	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	37
24	रिकाड कीपर कम लाइब्रेरियन	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	मुख्य प्रारूपकार	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहा.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	प्रयोगशाला सहायक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	कनिष्ठ लेखाकार	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
30	सहा. सां. अधिकारी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31	सांख्यिकी निरीक्षक	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
32	प्रोग्रामर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33	सहायक प्रोग्रामर	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
34	सूचना सहायक	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
35	वाहन चालक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36	जमादार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
37	च.श्र.क./बॉयलर हैल्पर	14	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
38	बागवान	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	योग	75	14	8	8	10	9	9	5	4	7	5	6	6	6	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	210

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की संरचना

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स

उप मुख्य निरीक्षक (मुख्या.)	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	3 वरिष्ठ निरीक्षक	निरीक्षक (मेडिकल)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	निजी सचिव	प्रोग्रामर	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	संस्थापन अधिकारी
-----------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-----------	------------	-------------------------	------------------

प्रदेश में स्थित कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के कार्यालय

क्र०सं०	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
1	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	कोटा
2	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जोधपुर
3	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	उदयपुर
4	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अलवर
5	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	जयपुर
6	उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भीलवाड़ा
7	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बीकानेर
8	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	श्रीगंगानगर
9	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	किशनगढ़
10	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	अजमेर
11	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	पाली
12	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भिवाड़ी
13	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	चित्तौड़गढ़
14	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बांसवाड़ा
15	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	भरतपुर
16	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बूंदी
17	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	बालोतरा
18	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सिरोही
19	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	मकराना
20	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	हनुमानगढ़
21	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स	सीकर
22	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना(रसायन), (औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला)	जयपुर
23	उप निदेशक (सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र)	जयपुर

**जिलेवार पंजीकृत कारखाने एवं उनमें औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण**

क्र०सं०	जिले का नाम	पंजीकृत कार्यरत कारखाने एवं दैनिक औसतन नियोजित श्रमिकों की संख्या	
		कुल कारखाने	औसतन नियोजित श्रमिक
1	अजमेर	653	27097
2	अलवर	514	86131
3	बालोतरा	128	5217
4	बांसवाड़ा	41	15225
5	बारां	26	5215
6	बाड़मेर	36	21075
7	ब्यावर	145	18900
8	भरतपुर	129	4570
9	भीलवाड़ा	647	75312
10	बीकानेर	353	19421
11	बून्दी	103	5450
12	चित्तौड़गढ़	117	32107

13	चूरु	58	1821
14	दौसा	84	1343
15	डीडवाना-कुचामन	49	1567
16	डीग	09	155
17	धौलपुर	62	3543
18	डूंगरपुर	12	2714
19	हनुमानगढ़	583	22397
20	जयपुर	3375	248891
21	जैसलमेर	54	4486
22	जालौर	23	1229
23	झालावाड़	53	5523
24	झुंझुनू	48	4623
25	जोधपुर	860	52975
26	करौली	18	385
27	खैरथल-तिजारा	1131	136927
28	कोटा	288	24401
29	कोटपुतली-बहरोड	387	64846
30	नागौर	93	5388
31	पाली	264	19173
32	फलौदी	59	2546
33	प्रतापगढ़	4	59
34	राजसमंद	76	6069
35	सलूमबर	2	59
36	सवाईमाधोपुर	23	569
37	सीकर	163	11890
38	सिरोही	123	11767
39	श्रीगंगानगर	484	21815
40	टोंक	103	3962
41	उदयपुर	401	33770
	<b>योग</b>	<b>11781</b>	<b>1010613</b>

विभाग में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (31 दिसम्बर, 2025)

क्र.सं0	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी	रिक्त पदों की संख्या
1.	मुख्य निरीक्षक	1	—	1
2.	उप मुख्य निरीक्षक	7	6	1
3.	उप मुख्य निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
4.	वरिष्ठ निरीक्षक	12	12	—
5.	वरिष्ठ निरीक्षक (रसायन)	1	1	—
6.	निरीक्षक	19	6	13
7.	निरीक्षक (रसायन)	1	—	1
8.	निरीक्षक (मेडिकल)	1	1	—
9.	उपनिदेशक (SMTC/IHL)	2	1	1
10.	सहायक निदेशक	1	1	—
11.	निजी सचिव	1	1	—
12.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	—
13.	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम	1	1	—
14.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	—
15.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	—	2
16.	संस्थापन अधिकारी	1	—	1
17.	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	—
18.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	7	7	—
19.	मुख्य प्रारूपकार	1	—	1
20.	निजी सहायक— I	4	1	3
21.	निजी सहायक — II	5	5	—
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	11	3
23.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	—

24.	सांख्यिकी निरीक्षक	3	3	—
25.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	1	—	1
26.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	—
27.	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	2	2	—
28.	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	—
29.	वरिष्ठ सहायक	22	22	—
30.	कनिष्ठ सहायक	37	31	6
31.	रिकार्ड कीपर लाइब्रेरियन	1	—	1
32.	प्रोग्रामर	1	1	—
33.	सहायक प्रोग्रामर	3	3	—
34.	सूचना सहायक	5	5	—
35.	वाहन चालक	1	—	1
36.	जमादार	3	—	3
37.	चतुर्थ श्रेणी / बॉयलर हैल्पर	39	16	23
38.	बागवान	1	1	—
	<b>योग</b>	<b>210</b>	<b>148</b>	<b>62</b>

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्ष से तुलना

क्र.सं.	विभागीय उपलब्धियाँ		विगत तीन वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियाँ			आलोच्य वर्ष की उपलब्धियाँ
			वर्ष –2022	वर्ष –2023	वर्ष – 2024	वर्ष – 2025 (दिसम्बर, 2025 तक)
1	नये पंजीकृत कारखाने		723	721	696	824
2	कारखानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या		65250	64644	65083	103113
3	कारखानों के निरीक्षण		4020	4176	4740	5051
4	नये पंजीकृत बॉयलर		134	170	152	201
5	कारखानों से प्राप्त किये गये वायुगर्भित प्रदुषकों के नमूने	कारखानों की संख्या	223	230	253	168
		नमूने	1206	1150	1357	1085
6	सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	111	56	115	147
		प्रशिक्षणार्थी	1206	1481	3980	7707
7	सिलिकोसिस से बचाव हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	64	26	69	51
		प्रशिक्षणार्थी	1780	1170	2436	961
8	हैजार्ड्स एवं ई-वेस्ट हैण्डलिंग से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11	03	6	6
		प्रशिक्षणार्थी	375	380	513	331

## आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

राज्य सरकार द्वारा विभाग से सम्बन्धित निम्न नवीन नीतिगत निर्णय लिये गये हैं, जिनकी विभाग द्वारा निम्नानुसार क्रियान्विति की गयी है:-

क्रम सं.	नीतिगत निर्णय	क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति
1	विभागीय कार्य को ऑनलाइन करना।	<p>नवीनतम Business Reform Action Plan के अनुसार Ease of Doing Business हेतु कारखानों एवं बायलर्स के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं नक्शे अनुमोदन तथा अन्य विभागीय कार्य को ऑन लाईन सरलीकृत प्रकार से किये जाने के लिये वेब एप्लीकेशन RajFAB लागू कर दी गयी है। विभाग द्वारा कारखानों व बाँयलर्स के पंजीकरण, नवीनीकरण व नक्शे अनुमोदन का कार्य, बाँयलर अटैण्डेन्ट परीक्षा आदि कार्य ऑनलाइन ही किये जा रहे हैं तथा कोई भी आवेदन डाक अथवा पत्रवाहक से स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। कारखाना लाईसेंस के Auto Renewal की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। विभाग की सेवाओं का ई-मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है।</p> <p>कारखाना एवं बाँयलर्स विभाग एवं श्रम विभाग के साथ केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) के माध्यम से राजनिवेश पर आवंटित करने की प्रणाली लागू कर दी गई है।</p> <p><b>(परिशिष्ट-4)</b></p>
2	विभागीय कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारण।	विभाग द्वारा किये जा रहे पंजीयन, नवीनीकरण, नक्शे अनुमोदन के कार्यों को समयबद्ध किये जाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है।
3.	राज्य सरकार की One Stop Shop सेवा	राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना <b>"One Stop shop Scheme"</b> के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी द्वारा आवंटित कार्यों के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

## RajFAB (www.rajfab.rajasthan.gov.in)

The screenshot shows the homepage of the RajFAB portal. At the top, there is a navigation bar with links for 'HOME', 'ABOUT US', 'DOCUMENTS', 'INDUSTRIAL SAFETY BOOKS', 'DOWNLOADS', 'EXAM', 'USER GUIDE', 'SAFETY AWARDS', 'DASHBOARD', 'ROJGAR SANDESH', and 'ROSTER REGISTER(F&B)'. Below this, a large banner features the 'RajFAB' logo and a 'Be-safe' campaign for 'International YOGA DAY' on 'JUNE 21st 2025' from 7:00 AM to 8:00 AM. A section titled 'OUR SERVICES' includes icons for 'FACTORIES' and 'BOILERS'. A 'Notifications/Latest News' box lists recent updates such as 'tentative seniority list dycifb 2023' and 'Appointment Orders for Junior Assistant- 2025'.

विभागीय कार्य को समयबद्ध, पारदर्शिता एवं सरलीकृत तरीके से किये जाने के लिए एक विस्तृत वेब एप्लीकेशन **RajFAB** बनाई गई है जो कि <https://rajfab.rajasthan.gov.in> पर स्थापित है।

## विगत एक वर्ष में सम्पादित प्रमुख कार्य एवं नवाचार

## Compliance Reduction and Deregulation

- **Compliance Reduction and Deregulation** की गाईडलाइन्स के अनुसार विभाग से सम्बंधित सभी बिन्दुओं की अनुपालना की गई है। महिला श्रमिकों पर कारखानों में खतरनाक कार्य के प्रतिबंध को समाप्त किया गया।

## BRAP में EoDB की शत प्रतिशत पालना

- **Business Reform Action Plan** की गाईडलाइन्स के अनुसार विभाग से सम्बंधित सभी बिन्दुओं की अनुपालना की गई है।

## RajNivesh पोर्टल पर विभाग की सर्विसेज की उपलब्धता

- **RajNivesh** पोर्टल पर विभाग की सर्विसेज का इंटीग्रेशन कर दिया गया है।

### कारखानों का पंजीयन

- विभाग द्वारा **824** नये कारखानों का पंजीयन किया गया है।

### सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र

- श्रमिकों को निःशुल्क सुरक्षा प्रशिक्षण देने हेतु कारखानों में स्थित **16** प्रशिक्षण केन्द्रों तथा निजी क्षेत्र में **05** सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- उक्त केन्द्रों द्वारा **1617** सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं, जिनमें **51796** प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये।
- कारखानों में कार्यरत श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभाग के सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र का नई तकनीक के आधार पर स्वचालित मोडल/कम्प्यूटर प्रशिक्षण कियोस्क व ऑडियो-वीडियो माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का पुनरोद्धार किया गया है।

### Auto Renewal of Factory License

- उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा **EoDB** के तहत कारखानों के लाइसेंस के लिये **Auto Renewal** की सुविधा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें बिना विभागीय हस्तक्षेप के स्वयं उद्यमी द्वारा ही नवीनीकृत कारखाना लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है। दिसम्बर, **2025** तक **2774** कारखानों के लाइसेंस का **Auto Renewal** किया जा चुका है।

### One Stop Shop Scheme

- राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहान देने हेतु राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना **“One Stop shop Scheme”** के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल कर एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी की उद्योग विभाग में प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को अपनी उपस्थिति एवं आवंटित कार्यों के निस्तारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

### विभाग की सर्विसेज की ई मित्र पोर्टल पर उपलब्धता

विभाग की निम्न नागरिक सेवाओं का ई मित्र पोर्टल से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। इन सेवाओं को ई मित्र पोर्टल पर उपलब्ध होने से प्रत्येक नागरिक को विभाग से सम्बन्धित कोई भी कार्य करने में आसान तरीके से सुविधा उपलब्ध है।

- कारखाना भवन के नक्शे स्वीकृति एवं अनुमोदन
- कारखानों का पंजीयन
- कारखाना लाइसेन्स का नवीनीकरण **Auto Renewal**
- कारखानों का निरीक्षण

- बॉयलर पंजीयन एवं निरीक्षण
- बॉयलर अधिनियम, 2025 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत, मरम्मतकर्ता/ईरेक्टर, वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति/अनुमोदन।
- विभाग द्वारा विनियमित किये जाने वाले कानूनों के तहत प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन।

### नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सहयोग

- राज्य सरकार द्वारा नये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिये RMSME Act, 2019 जारी किया गया। जिसकी पालना में विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत Acknowledgement Certificate प्राप्त करने वाले नये उद्योगों को पांच वर्ष तक कारखाना एवं बायलर्स के निरीक्षण व अनुमोदन से छूट प्रदान है।

### कारखाना सुरक्षा पुरस्कारों का वितरण

- 4 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। उक्त योजना में राज्य के लगभग **374** कारखानों ने भाग लिया। जिसमें कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट स्वतः अनुपालना करने वाले **60** कारखानों को सुरक्षा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

### हैजार्डस वेस्ट एवं ई-वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण

- विभाग द्वारा Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 एवं E-Waste Management Rules, 2016 के नियम क्रमशः 5(2) एवं 12(2) की अनुपालना में श्रमिकों के पंजीयन हेतु राजफैब वेब एप्लीकेशन पर मोडयूल उपलब्ध है, जिस पर दिसम्बर, 2025 तक Hazardous Waste Handling से संबंधित **836** संस्थानों द्वारा **4057** श्रमिकों का एवं E-Waste Handling से संबंधित **28** संस्थानों द्वारा **127** श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

### हैजार्डस वेस्ट/ई-वेस्ट हेण्डलिंग करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण

- विभाग द्वारा Hazardous Waste Handling एवं E-Waste Handling करने वाले कारखानों के प्रबन्धन व श्रमिकों की **06** वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें **331** कारखाना प्रतिनिधि/श्रमिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

## Disposal

प्राप्त आवेदनों का  
ऑनलाईन निस्तारण

